



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक: 709 प्रवर्तन जोन-5/2018

दिनांक 09/09/2018

सेवा में,

मै0 युटिलिटी स्टेटस प्रा0लि0

जी0-79, प्रीत बिहार

दिल्ली-110092

विषय: - मै0 युटिलिटी स्टेटस प्रा0लि0 द्वारा विकसित की जा रही इन्टीग्रेटेड टाउनशिप "पार्क टाऊन" के भूखण्ड सं0 जी0एच0-1/1 पर निर्मित 24 ई0डब्लू0एस0/24 एल0आई0जी0 भवनों के सम्पूर्णता प्रमाण पत्र स्वीकृति/निर्गत के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप द्वारा एन0एच0-24 ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गायजिबाद पर स्थित इन्टीग्रेटेड टाउनशिप "पार्क टाऊन" के भूखण्ड सं0 जी0एच0-1/1 पर स्वीकृत मानचित्र सं0- 70/जोन-5/2014-15 दिनांक 19.05.2015 पर निर्मित 24 ई0डब्लू0एस0/24, एल0आई0जी0 का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने का अनुरोध दिनांक 22.05.2019 को किया गया है। प्रवर्तन जोन व समिति द्वारा परीक्षण कर 24 ई0डब्लू0एस0/24, एल0आई0जी0 के पूर्णता प्रमाण के सम्बन्ध में प्रस्तुत आख्या पर उपाध्यक्ष महोदया द्वारा पर दिनांक 02.09.2019 को दिये गये सशर्त अनुमोदन/स्वीकृत के क्रम में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15क के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार 24 ई0डब्लू0एस0/24 एल0आई0जी0 भवनों का सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तावित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ जारी किया जाता है।

शर्तें/प्रतिबन्ध :-

1. अग्निशमन विभाग से अग्नि सुरक्षा के उपकरणों के क्रियाशील होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित समस्त प्राविधानों के पालन करने की जिम्मेदारी बिल्डर/आर0डब्लू0ए0 की होगी तथा शिथिलता बरतने पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिल्डर/आर.डब्लू.ए. की होगी। प्रत्येक वर्ष इसके अनुपालन की सूचना से प्राधिकरण को भी सूचित करना होगा।
2. भवन के स्ट्रक्चरल/एलिवेशन सेफ्टी की पूर्ण जिम्मेदारी आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चरल इंजी0/बिल्डर/आर.डब्लू.ए. की होगी। यदि इसके कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसके लिए यह एजेंसी स्वयं जिम्मेदार होगी।
3. रेन वाटर ड्रावैस्टिंग के क्रियान्वयन एवं रख-रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिल्डर/ आर0डब्लू0ए0 की होगी तथा इसकी किसी भी समय जांच करने का अधिकार प्राधिकरण का होगा।
4. समस्त रोपित वृक्षों के रख-रखाव व सुरक्षा की जिम्मेदारी आर0डब्लू0ए0/बिल्डर की होगी।
5. वाटर सप्लाई, सीवर मन्टीनेन्स तथा किसी भी प्रकार की मन्टीनेन्स/रख-रखाव की जिम्मेदारी स्वयं बिल्डर/ए0ओ0ए0 की होगी आंतरिक विकास एवं कामन सर्विसेज को यू0पी0 अपार्टमेन्ट एक्ट 2010 एवं यू0पी0अपार्टमेन्ट नियमावली 2011 के नियमों के अन्तर्गत बिल्डर द्वारा ए0ओ0ए0 को हैन्ड ओवर किया जायेगा। हैन्ड ओवर लेने एवं हैन्ड ओवर देने की ए0ओ0ए0 की एवं बिल्डर की सामूहिक जिम्मेदारी होगी।
6. अपार्टमेन्ट एक्ट-2010 एवं यू0पी0 अपार्टमेन्ट नियमावली-2011 के प्राविधानों के अनुपालन की जिम्मेदारी बिल्डर/आर0डब्लू0ए0 की होगी।
7. स्वीकृत पार्किंग स्थल का उपयोग केवल पार्किंग के लिए ही किया जायेगा। कोई अन्य उपयोग मान्य नहीं होगा।
8. किसी भी विपरीत परिस्थिति में निर्माणकर्ता की लापरवाही से होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति का सम्पूर्ण उत्तदायित्व निर्माणकर्ता को होगा।

9. प्राधिकरण द्वारा भविष्य में बढ़े हुये विकास व्यय या अन्य कोई शुल्क की मांग की जाती है तो वह शुल्क निर्माणकर्ता/आर0डब्ल्यू0ए0 को प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा।
10. बाह्य विकास कार्य पूर्ण होने पर सीवर कनेक्शन एवं वाटर कनेक्शन की अनुमति गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से प्राप्त करने का दायित्व निर्माणकर्ता एजेन्सी का होगा।
11. नियमानुसार आर0डब्ल्यू0ए0 के गठन एवं आर0डब्ल्यू0ए0 को सभी सुविधाओं सहित हस्तान्तरण तक समस्त सुविधाओं आदि का अनुरक्षण निर्माणकर्ता द्वारा ही कराया जायेगा।
12. **Solid waste management** के क्रियान्वयन एवं रख-रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिल्डर/आर0डब्ल्यू0ए0 की होगी तथा इसकी किसी भी समय जांच करने का अधिकार प्राधिकरण का होगा।
- State Level Environment Impact Assessment Authority, U.P. द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में इंगित शर्तों का अनुपालन करना होगा।


सुशील कुमार चौधरी
प्रभारी प्रवर्तक जॉन-5
प्रभारी प्रवर्तन जॉन-6
गा0 वि0 प्रा0 गाजि0